न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।

उपस्थित–मलिक मज़हर सुलतान,एच0जे0एस0।

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–139 वर्ष 2021</u>

<u>सीएनआर–यूकेएएल–010003312021</u>

नीतेश श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रेम प्रकाश
श्रीवास्तव निवासी 1/304 दीपक गलेक्सी सहारा प्रेस
जानकीपुरम, लखनउ, उत्तर प्रदेश।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–03 वर्ष 2020
अन्तर्गत धारा–420,406 भा0दं0सं0
चालानी थाना–कोतवाली अल्मोड़ा
जिला अल्मोड़ा ।

उपस्थितः–अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द्र फुलारा।
राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा,

<u>02.09.2021</u>

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त नीतेश श्रीवास्तव की ओर से थाना कोतवाली अल्मोड़ा के मुकदमा अपराध सं0–03 सन् 2020, अन्तर्गत धारा–420, 406 भा0दं0सं0 में अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु दिया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना–पत्र उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

3. प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अभियुक्त की पैरोकार/माता श्रीमती उषा श्रीवास्तव द्वारा अपना शपथ–पत्र कागज सं0–4ख/1 प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोजन द्वारा विवेचनाधिकारी की लिखित आपत्ति 8ख/1 लगायत 8ख/2 प्रस्तुत कर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

5. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द्र फुलारा एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा को सुना गया व पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी ने तर्क के दौरान मुख्य रूप से अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र ना देने पर प्रश्न उठाते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में भी उपस्थित नहीं है।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त किसी अन्य मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है जिस कारण उसकी ओर से शपथ पत्र उसकी माता द्वारा दिया गया है।

8. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वयं प्रार्थी नीतेश श्रीवास्तव द्वारा दायर नहीं किया गया है बल्कि उसकी ओर से उसकी माता श्रीमती उषा श्रीवास्तव द्वारा हस्ताक्षरित करते हुये प्रस्तुत किया गया है और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी उक्त श्रीमती उषा श्रीवास्तव द्वारा दिया गया है

9. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रकिंया संहिता की धारा 438 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। दण्ड प्रकियां संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 438 (1) के अनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वयं अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। प्रस्तुत मामले में चूँकि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र ना तो स्वयं अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा दायर किया गया है और ना ही उसने अपना स्वयं का शपथ पत्र ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल

किया है, अतः न्यायालय इस मत का है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 438 (1) दण्ड प्रकियां संहिता के तहत संधार्य नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 139/2021 तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

02.09.2021

(मलिक मज़हर सुल्तान)
सत्र न्यायाधीश,
अल्मोड़ा।